

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

सत्यनारायण पुत्र रामचन्द्र धोबी निवासी धुवालां, तहसील माण्डल, जिला भीलवाडा।

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल, जिला भीलवाडा।

प्रकरण संख्या :- 48/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.04.2026	<p>—: निर्णय :—</p> <ol style="list-style-type: none"><li>पत्रावली आज पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</li><li>अपीलार्थी ने अपील में वर्णित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल से चाही गई थी, परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर, प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। प्रकरण दर्ज कर उभयपक्षकारान् की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।</li><li>सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार माण्डल से प्राप्त सूचना अनुसार सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्र क्रमांक 3853-3854 दिनांक 23.03.2026 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना/जवाब इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 3405 दिनांक 04.02.2026 से अपीलार्थी को प्रेषित किया गया। जिसकी प्रतिलिपि उक्त अपील पत्रावली के अभिलेख पर मौजूद है।</li></ol> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 07-04-2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



(जसमीत सिंह संधू)

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी

लोक सूचना एवं जिला कलक्टर, भीलवाड़ा